

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

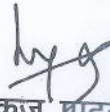
क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-245) अलेसे-1/991

दिनांक:- 30/12/2016

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.2 (क)(सेवानिवृत्त) अलेसे-1/9897-10195, आदेश संख्या 125/2015-16 दिनांक 06.11.2015 द्वारा कम संख्या 50 पर अंकित श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा(लिंग नं. 8634) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2016 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। श्री गोविन्द प्रसाद के विरुद्ध लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान के स्तर पर जांच विचाराधीन होने के कारण "जांच बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अब लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान के पत्र क्रमांक 809 दिनांक 07.04.2016 के द्वारा विचाराधीन जांच को नस्तीबद्ध(बंद) कर दिये जाने के परिणामस्वरूप वित्त(नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

  
(पंकज प्रास्टी)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-245) अलेसे-1/991

दिनांक:- 30/12/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, भरतपुर।
3. श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1 कार्यालय - उपकोषाधिकारी, डीग, भरतपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में ऐन्ट्री करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/वरिष्ठता शीट/पदस्थापन सीट।

  
(बलवीर सिंह गोठवाल)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)